मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2016 (चैत्र 12, शक सम्वत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 एवं 22) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 121 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 134 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम 267 के अधीन लंबित सूचनाओं में से 38 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई. अत: निम्नलिखित सूचनाएं माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गई मानी जाएंगी एवं इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा. तदनुसार –

(1) श्री राजेन्द्र फूलचन्द्र वर्मा, सदस्य की सोनकच्छ के ग्राम भलाई कला से हाइवे तक सड़क निर्माण कार्य होने,

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश में विकलांग युवकों को रोजगार न दिये जाने,

(3) श्री घनश्याम पिरोनियां, सदस्य की भाण्डेर के ग्राम गोदन आदि में ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद होने,

(4) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की उज्जैन जिलान्तर्गत नगर पालिका परिषद द्वारा पेयजल उपलब्ध न कराये जाने,

(5) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले के हनुमना में न्यायालय में व्यवहार न किये जाने,

(6) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की पाटन विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ओलावृष्टि से फसलें नष्ट होने,

(7) श्री हर्ष यादव, सदस्य की सागर जिलान्तर्गत देवरी विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक भी महिला चिकित्सक पदस्थ न होने,

(8) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की रीवा जिले की सिरमौर तहसील में भूमि के अनेक खसरों की कम्प्यूटराईज्ड प्रविष्टियाँ दर्ज न होने,

(9) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में अल्पवर्षा से सूखाग्रस्त एवं पेयजल समस्या होने,

(10) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की मध्यप्रदेश शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण न किये जाने,

(11) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की प्रदेश में नायब तहसीलदारों के पद रिक्त होने से किसानों एवं आमजन को परेशानी होने

(12) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य की आष्टा क्षेत्र के ग्रामों में जल संकट होने,

(13) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर के खजुराहो में नाबालिग बच्ची से दुराचार किए जाने,

(14) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना के ग्राम नायकपुरा सराय में सियार द्वारा ग्रामीणों को काटे जाने,

(15) श्रीमती ऊषा चौधरी, सदस्य की सिरोली क्षेत्र के देवसर की ग्राम पंचायतों द्वारा हैण्डपंप खनन की राशि स्वयं के उपयोग में लिये जाने,

(16) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की भोपाल के अम्बेडकर नगर में लुम्बिनी परिसर की सीवेज लाइन टूटी होने,

(17) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की मंदसौर जिले के ग्रामीणों को इन्दिरा आवास योजना की दूसरी किस्त दिए जाने,

(18) श्री बलवीर सिंह डण्डोतिया, सदस्य की किसान कल्याण विभाग द्वारा गुणवत्ताविहीन लाईट ट्रेप खरीदे जाने,

(19) श्री आर.डी.प्रजापति, सदस्य की छतरपुर के ग्राम मनुरिया में बच्चे कुपोषित होने,

(20) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की देवास जिले के सुकल्या ठीकरिया बांध की नहरों के निर्माण में भ्रष्टाचार होने,

(21) श्री सुंदरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा के ग्राम व पोस्ट शाहपुर की भूमि के अभिलेख कम्प्यूटराईज्ड न किये जाने,

(22) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य की छतरपुर में सड़क बायपास का निर्माण न किये जाने,

(23) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी जिले में अवैध नर्सिंग होम सोनोग्राफी लेबोरेट्री में मनमानी फीस वसूल की जाने,

(24) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत खरसौद खुर्द की महिला सरपंच को परेशान किये जाने,

(25) डॉ.गोविंद सिंह, सदस्य की मंदाकिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था के चुनाव में अनियमितता होने,

(26) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की सेवढ़ा में नीमडाडा सड़क मार्ग न होने से किसानो एवं आमजन को परेशानी होने,

(27) डॉ.योगेन्द्र निर्मल, सदस्य की सिवनी के बैनगंगा कछार में पदस्थ दै.वे.भो.कर्मी को नियमित भुगतान न किये जाने,

(28) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य की सिंगरोली जिले के अकला शैलपार मार्ग पर निर्माणाधीन पुल का कार्य अपूर्ण होने,

(29) श्री कालूसिंह ठाकुर, सदस्य की धार जिले के माण्डव में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाने,

(30) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य की कालापीपल तहसील मुख्यालय में सिविल न्यायालय प्रारम्भ किये जाने,

(31) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में शासन की मूल्य स्थायीकरण योजना का लाभ कृषको को न मिलने,

(32) श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य की भोपाल के ब्यावरा में एन.एच. 12 मार्ग का सड़क निर्माण कार्य धीमी गति से होने,

(33) श्री महेश राय, सदस्य की बीना क्षेत्र में राहत राशि वितरण न होने,

(34) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य की प्रदेश में रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों का भुगतान किये जाने,

(35) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की देवास जिले के कन्नौद तहसील में नहरों के निर्माण में घटिया कार्य किये जाने,

(36) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संचालित जननी एक्सप्रेस वाहनों के किराये का शीघ्र भुगतान किये जाने,

(37) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच जिले में अफीम के डूडे लूटने वाले अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने तथा

(38) श्री मथुरालाल, सदस्य की नगर निगम द्वारा टेण्डर प्रक्रिया में बदलाव न किये जाने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

3. शून्यकाल में उल्लेख

केन्द्र सरकार द्वारा एक्साईज ड्यूटी लगाने के विरूद्ध मध्यप्रदेश के सर्राफा व्यापारी हड़ताल पर होना

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष एवं श्री राम निवास रावत, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – मध्यप्रदेश के सर्राफा व्यापारी केन्द्र सरकार द्वारा उनके व्यापार पर एक प्रतिशत की एक्साईज ड्यूटी लगाने और 2 लाख से ऊपर खरीदी पर पेन कार्ड की अनिवार्यता के विरोध में एक माह से हड़ताल पर हैं. प्रदेश सरकार इसे वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार से अनुशंसा करे.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सदन नियम, प्रक्रिया या परम्परा से चलेगा. ऐसी कोई मान्य परम्परा नहीं है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित किसी भी कर के ऊपर इस सदन में चर्चा की गई हो. श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने संसदीय कार्य मंत्री की बात से सहमति जताते हुए कहा कि केन्द्र के विषय पर विधान सभा में चर्चा नहीं हो सकती. अध्यक्ष महोदय ने संसदीय कार्य मंत्री की बात से सहमति व्यक्त की और व्यवस्था के प्रश्न से सहमत होते हुए, इस विषय को सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2006 के अंतर्गत अनुपालन एवं पुनर्विलोकन रिपोर्ट दिसम्बर, 2015,

(ख) वित्तीय वर्ष 2014-2015 की द्वितीय छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण तथा

(ग) वित्तीय वर्ष 2015-2016 की प्रथम छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण,

पटल पर रखे.

5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में उल्लेखित 31 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से प्रथम 4 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को नियम 138 (3) को शिथिल कर चर्चा में लिए जाने एवं शेष पढ़ी हुई मानी जाने सम्बन्धी घोषणा की गई. तदुपरांत निम्नानुसार सूचनाएं चर्चा हेतु ली गई :

(1) सर्वश्री सुन्दरलाल तिवारी, जितू पटवारी, सुखेन्द्र सिंह एवं रामनिवास रावत, सदस्यगण ने सतना जिले के मुकुन्दपुर स्थित चिड़ियाघर एवं प्राणी सहउपचार केन्द्र के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

6. बहिर्गमन

श्री रामनिवास रावत, सदस्य के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सतना जिले के मुकुन्दपुर स्थित चिड़ियाघर एवं प्राणी सहउपचार केन्द्र के निर्माण में अनियमितता किये जाने संबंधी शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

7. ध्यान आकर्षण (क्रमश:)

(2) श्री अंचल सोनकर, सदस्य ने जबलपुर के हनुमानताल थानांतर्गत युवक पर प्राण घातक हमला किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) श्री सूबेदार सिंह रजौधा एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने मुरैना जिले के ग्राम सेमई में शासकीय भूमि के पट्टों में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(4) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य ने दतिया जिले के ग्राम रूहेरा स्थित सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (5) से (31) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(5) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की भिण्ड जिले के मेहगांव क्षेत्र में इल्ली प्रकोप से फसल नष्ट होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(6) श्री रमेश मैंदोला, सदस्य की इंदौर के आजाद नगर पुलिस द्वारा नागरिकों के साथ अकारण मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की ग्वालियर मुरैना राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्धारित दर से अधिक दर पर टोल टैक्स की वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

(8) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य की राजगढ़ क्षेत्र की नलजल योजनाएं सुचारू रूप से चालू न होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य की प्रदेश में टिशु कल्चर पौध रोपण का हार्डनिंग सेंटर का लाभ कृषकों को न मिलने संबंधी सूचना तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का वक्तव्य.

(10) श्री आशीष शर्मा, सदस्य की इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिया संकरी होने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

(11) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम जाखदा जागीर स्थित शासकीय भूमि पर कब्जा किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(12) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की इटारसी स्थित महाविद्यालय द्वारा परीक्षा का आयोजन न किये जाने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(13) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, सदस्य की धार जिले के पीथमपुर स्थित उद्योग में विस्फोट से पांच श्रमिकों के झुलसने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य.

(14) सर्वश्री आरिफ अकील, सुन्दरलाल तिवारी, रामनिवास रावत, सदस्य की मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(15) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर में प्रोजेक्ट उदय के तहत नर्मदा का जल पेयजल हेतु उपलब्ध न होने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य.

(16) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य की खंडवा जिले में सड़क निर्माण हेतु अवैध रूप से खनिज का दोहन किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

(17) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर शहर में फर्जी कम्पनियों द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(18) श्री संजय शर्मा, सदस्य की तेंदूखेड़ा क्षेत्र के बिजौरा सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि न मिलने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

(19) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की इंदौर उज्जैन संभाग में बी.एड. कालेज के नाम पर लूट खसौट किये जाने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(20) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य की बुरहानपुर जिले में संचालित रेशम उद्योग बंद होने संबंधी सूचना तथा ग्रामोद्योग मंत्री का वक्तव्य.

(21) श्री सतीश मालवीय, सदस्य की उज्जैन जिले में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से मिलावटी शराब की बिक्री किये जाने संबंधी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य.

(22) श्री संजय शाह, सदस्य की हरदा जिले में अनेक नहरों से लिफ्ट सिंचाई पर रोक लगाये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(23) श्री राजेन्द्र श्यामलाल दादू, सदस्य की बुरहानपुर जिले के ग्राम जैनाबाद में प्रशासनिक अमले पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(24) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम अर्जुनपुर में अवैध रूप से रखा पोषण आहार जप्त किये जाने संबंधी सूचना तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री का वक्तव्य.

(25) सर्वश्री जितू पटवारी, रामनिवास रावत, सदस्य की पेंच नेशनल पार्क में बाघिन और शावकों के शव पाये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(26) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले में विद्युत लाईनें जीर्णशीर्ण होने से दुर्घटनाएं होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(27) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य की रीवा जिले के सिरमौर नगर पंचायत में पेयजल संकट होने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य.

(28) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की प्रदेश के अनेक जिलों में डेंगू की रोकथाम हेतु पर्याप्त प्रबंध न किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(29) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की पन्ना जिले में हीरा खदानों से हीरे की चोरी होने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

(30) सर्वश्री शैलेन्द्र पटेल, रामनिवास रावत, सदस्य की सीहोर जिला चिकित्सालय में एक महिला की मौत होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(31) श्री महेन्द्र हार्डिया, सदस्य की प्रदेश के विकलांग बच्चों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ न मिलने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

(1) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(2) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(3) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(4) श्री सचिन यादव (जिला-खरगोन)
(5) पं. रमाकांत तिवारी (जिला-रीवा)
(6) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(7) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(8) श्री गिरीश भंडारी (जिला-राजगढ़)
(9) श्री आशीष गोविंद शर्मा (जिला-देवास)
(10) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(11) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(12) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(13) श्री कुंवरसिंह टेकाम (जिला-सिंगरौली)
(14) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर-मालवा)
(15) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला-मुरैना)

(16) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(17) श्री निशंक जैन (जिला-विदिशा)
(18) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)
(19) श्रीमती शकुन्तला खटीक (जिला-शिवपुरी)
(20) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(21) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(22) श्री आरिफ अकील (जिला-भोपाल एवं रायसेन)
(23) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(24) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(25) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(26) श्री वीर सिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(27) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(28) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(29) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(30) श्री दिव्यराज सिंह (जिला-रीवा)
(31) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(32) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(33) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(34) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा (जिला-देवास)
(35) श्री घनश्याम पिरौनियां (जिला-दतिया)
(36) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(37) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(38) श्री जयवर्द्धन सिंह (जिला-गुना)
(39) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (जिला-अशोक नगर)
(40) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(41) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(42) श्री कालु सिंह ठाकुर (जिला-धार)
(43) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
(44) श्री दिनेश कुमार अहिरवार (जिला-टीकमगढ़)
(45) श्री महेश राय (जिला-सागर)

9. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री कैलाश चावला, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि –

श्री सचिन यादव, सदस्य म.प्र. विधान सभा द्वारा जिला इंदौर के अंतर्गत मानपुर-लेबड़ मार्ग में वालेचा एल.एम. टोल प्राइवेट लिमिटेड के टोल प्लाजा नाके के कर्मचारियों तथा थाना प्रभारी मानपुर के विरूद्ध श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, सदस्य विधान सभा के साथ अपमानजनक व्यवहार एवं जनप्रतिनिधित्व कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की दी गई सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. अध्यक्षीय घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि - मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016) एवं मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016) की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थाई आदेश की कंडिका 24 एवं मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही पुर:स्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा विचार में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने सदन की अनुमति से मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016) पुर:स्थापित किया.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने सदन की अनुमति से मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016) पुर:स्थापित किया.

(3) श्री लाल सिंह आर्य, राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं पर्यावरण ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 7 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री रामनिवास रावत
(3) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष

श्री लाल सिंह आर्य ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री लाल सिंह आर्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 7 सन् 2016) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

12. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि - सदन की सहमति से आज भोजनावकाश नहीं होगा तथा आज की कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 8 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 11 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 8 सन् 2016) पारित किया जाय.

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 9 सन् 2016) विचार किया जाय.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3, 4 तथा 5 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 9 सन् 2016) पारित किया जाय.

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(6) श्री लाल सिंह आर्य, राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 10 सन् 2016) पर विचार किया जाय.

श्री लाल सिंह आर्य ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री लाल सिंह आर्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 10 सन् 2016) पारित किया जाय.

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016) पर विचार किया जाय.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(8) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016) पर विचार किया जाय.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

14. समितियों के निर्वाचन की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी एवं स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिये क्रमश: ग्यारह-ग्यारह-ग्यारह-पन्द्रह तथा ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के सिलसिले में घोषित कार्यक्रमानुसार, नाम वापसी के पश्चात् संबंधित समितियों के लिए जितने सदस्य निर्वाचित किये जाने है उतने ही उम्मीदवार शेष है अत: उक्त समितियों के लिए निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया –

(1) लोक लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्रीमती अर्चना चिटनिस
2. श्री के.डी. देशमुख
3. श्री कैलाश चावला
4. श्री जसवंत सिंह हाड़ा
5. श्री देवेन्द्र वर्मा
6. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
7. श्री मानवेन्द्र सिंह
8. श्री रमेश मैन्दोला
9. श्री रामनिवास रावत
10. श्री लाखन सिंह यादव
11. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(2) प्राक्कलन समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री अरूण भीमावद
2. श्री कुंवर सिंह टेकाम
3. श्री गिरीश गौतम
4. श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
5. श्री नीलेश अवस्थी
6. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
7. डॉ. मोहन यादव
8. श्री रामपाल सिंह
9. श्री विजयपाल सिंह
10. श्री सुखेन्द्र सिंह
11. श्री सुदर्शन गुप्ता

श्री गिरीश गौतम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री जालम सिंह पटेल
2. श्री तरूण भनोत
3. श्री दिलीप सिंह परिहार
4. श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
5. श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
6. श्री मेहरबान सिंह रावत
7. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
8. श्री सतीश मालवीय
9. श्री हर्ष यादव
10. श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी
11. सुश्री हिना लिखीराम कांवरे

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री इन्दर सिंह परमार
2. श्रीमती इमरती देवी
3. श्री ओमप्रकाश धुर्वे
4. श्री कमलेश्वर पटेल
5. डॉ. कैलाश जाटव
6. श्री घनश्याम पिरोनियां
7. श्रीमती झूमा सोलंकी
8. सुश्री निर्मला भूरिया
9. श्री पन्नालाल शाक्य
10. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
11. श्री महेन्द्र हार्डिया
12. श्री रणजीत सिंह गुणवान
13. श्री रामप्यारे कुलस्ते
14. श्री लखन पटेल
15. श्री वेल सिंह भूरिया

श्री ओमप्रकाश धुर्वे, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(5) स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री गिरीश भंडारी
2. श्री गोवर्धन उपाध्याय
3. श्री चंपालाल देवड़ा
4. श्री दिव्यराज सिंह
5. श्री मनोज पटेल
6. श्री राजेन्द्र मेश्राम
7. श्रीमती ललिता यादव
8. कुंवर विक्रम सिंह
9. श्री शैलेन्द्र जैन
10. श्री सत्यप्रकाश सखवार
11. श्री संदीप जायसवाल

श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं.

15. अध्यक्षीय घोषणा

कार्यसूची में उल्लिखित अशासकीय संकल्प बाद में लेने विषयक

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि माननीय सदस्यों के अनुरोध पर आज की कार्यसूची में उल्लिखित अशासकीय संकल्प बाद में लिये जायेंगे.

16. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 18 मार्च, 2016 को ऊर्जा मंत्री से पूछे गए परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 92 (क्रमांक 5914) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रमेश मैन्दोला, सदस्य ने चर्चा उठाई.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

17. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नानुसार उदगार व्यक्त किए गए –

39 दिवसीय इस बजट सत्र के लिए निर्धारित बैठकों में कई महत्वपूर्ण शासकीय व अशासकीय कार्य पूर्ण होकर यह सत्र अब सुखद समापन की ओर है.

इस सत्र में लगभग 124 घंटे कार्य हुआ जिसमें से वित्तीय कार्य पर 70 घंटे और विधायी कार्य पर 4 घंटे कार्य हुआ.

महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों में वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक और वर्ष 2015-16 के चतुर्थ अनुपूरक अनुमान को सदन ने स्वीकृति दी। पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के सहयोग का यह परिणाम रहा कि अनुदान मांगों पर देर रात तक बैठकर लगभग साढ़े इकसठ घंटे चर्चा हुई, पिछले 16 वर्षों में यह सर्वाधिक अवधि की चर्चा है. विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा में कुल 110 सदस्यों ने भाग लिया जिसमें प्रथम बार निर्वाचित 66 सदस्य थे. इस चर्चा में माननीय मंत्रियों के उत्तर भी तथ्यात्मक और सकारात्मक थे.

सत्र में प्राप्त प्रश्नों की संख्या 7919 थी और इस प्रकार 23 बैठकों में औसतन 344 प्रश्न प्रतिदिन प्राप्त हुए. प्रश्नों की यह संख्या भी पिछले 16 वर्षों में सर्वाधिक है. कुल 191 सदस्यों ने ये प्रश्न दिये. इसमें भी प्रथम बार निर्वाचित 106 सदस्यों में से यदि एक मंत्री को छोड़ दिया जाय तो 102 सदस्यों अर्थात् लगभग शत्-प्रतिशत सदस्यों ने प्रश्न दिये, जो निश्चित ही उल्लेखनीय बात है.

इस सत्र में 12 शासकीय विधेयक पारित हुए. 888 ध्यानाकर्षण प्राप्त हुए. 14 अशासकीय संकल्पों पर सदन में चर्चा हुई. यह संख्या भी अपने आप में उल्लेखनीय है. 790 याचिकाएं सदन में प्रस्तुत हुईं. नियम 139 के तहत् पेयजल संकट पर चर्चा हुई और नियम 52 के अधीन भी चर्चाएं ग्राह्य हुईं. कहने का तात्पर्य यह है कि लगभग सभी विधाओं का माननीय सदस्यों ने उपयोग किया. इस वजह से सदन में सभी वर्गों की जन भावनाएं पहँचीं और अनेक जनहित के कार्य भी हुए. जिस गंभीरता से माननीय सदस्यों ने प्रश्नों और ध्यानाकर्षण की सूचनाएं उठाईं उसी का परिणाम रहा कि शासन की ओर से भी बहुत ही सकारात्मक उत्तर आये परिणामस्वरूप कई गंभीर मामलों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही की घोषणा भी माननीय मंत्रियों ने सदन में की और कई विकास कार्यों को चर्चा के दौरान मंजूरी भी मिली.

सदन की कार्यवाही देखने वाले दर्शकों की संख्या भी इस बार उल्लेखनीय रूप से बढ़ी. स्कूल कॉलेज के छात्र बड़ी संख्या में आये. इस बार लगभग साढ़े 6 हजार दर्शकों ने कार्यवाही का अवलोकन किया. प्रदेश के बाहर राजस्थान से भी छात्र आये और विधायकों से भी सीधी चर्चा की. सदन की कार्यवाही प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष के सहयोग के बिना संचालित नहीं की जा सकती. इस सत्र में जहां सत्ता पक्ष के सदस्यों तथा माननीय मंत्रियों ने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया, वहीं विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी सजगता, समर्थता और आक्रामकता के साथ किया. लोकतंत्र में सहमति असहमति, पारस्परिक सम्मान एवं संवाद के गुण निहित होते हैं. विभिन्न अवसरों पर ये गुण भी चरितार्थ हुए हैं.

कुछ नई परंपरायें भी आईं, आप सबकी सहमति से एक तो 10.30 की जगह 11.00 बजे हमने सदन प्रारंभ किया और दूसरा जिस दिन महिला बाल विकास विभाग की चर्चा थी उसमें सभी हमारी माननीय महिला सदस्यों ने भाग लिया. आसंदी पर भी सभापति के रूप में हमारी महिला सदस्य भी बैठीं, ये भी एक नई परंपरा महिला वर्ष में प्रारंभ हुई. इस अवसर पर सबसे अधिक सहयोग इस सदन के संचालन में जिनका मुझे मिला है ऐसे हमारे सम्मानीय माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उनका अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी सक्षमता से और मैं तो ऐसा मानता हूं कि मेरे से ज्यादा कुशलता से उन्होंने सदन का संचालन किया.

सभापति तालिका के सभी माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके सहयोग के बिना इस सदन के संचालन में कठिनाई हमें होती. मेरा यह मानना है कि सदन के नेता मुख्यमंत्री जी के बिना सहयोग के इस सदन को ठीक से संचालन करना शायद संभव नहीं होता. सदन के नेता जी ने भी न केवल इस संबंध में बहुत सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया, बल्कि अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर अपने हस्तक्षेप के द्वारा उन्होंने कई निर्णय भी कराए. मैं उनका भी बहुत-बहुत आभार मानता हूं.

माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बड़ी सजगता से और बड़ी तैयारी के साथ शासन के सामने जनता की और प्रतिपक्ष की बात रखी और साथ में सहयोग भी किया, उनका भी मैं अत्यंत आभार मानता हूं.

माननीय संसदीय कार्यमंत्री को पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सचिन तेंदुलकर की उपाधि दी थी, किन्तु इस बार उन्होंने उसको प्रामाणित बखूबी किया, न केवल फ्लोर मैनेजमेंट में, उन्होंने इस बार सारे विभागों के उत्तर दे दिये. आज भी दो विभागों के उत्तर दे दिये और एक माननीय विधायक ने उनको कॉम्प्लीमेंट भी दिया.

अभी वर्तमान के विराट कोहली, पूर्व के सचिन तेंदुलकर. हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य और मुख्य सचेतक श्री रामनिवास रावत ने भी अपनी शैली को आक्रामकता और बुद्धिमत्ता से जनता के सवालों को और प्रतिपक्ष की बात को रखा, मैं संसदीय कार्यमंत्री जी का और श्री रामनिवास रावत जी, मुख्य सचेतक का भी आभार मानता हूं.

मैं सभी माननीय मंत्रिगण का भी बहुत आभारी हूं, जिन्होंने पूरी गंभीरता से बिना किसी उत्तेजना के विभाग की बातें रखीं, चाहे वह बजट का समय हो, चाहे प्रश्नकाल का समय हो, चाहे ध्यानाकर्षण का समय हो और बड़ी सजगता के साथ माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिये और उनकी आकांक्षाओं के अनुरुप अनेक बार कार्य भी किये.

मैं सभी माननीय सदस्यगण का बहुत-बहुत आभार मानता हूं, जिन्होंने इस सदन की कार्यवाही में न केवल भाग लिया, बल्कि समय-समय पर सहयोग देकर इस सदन के संचालन में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया. मैं आप सभी माननीय सदस्यों का भी आभार मानता हूं.

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमारे सदन की सम्मान की रक्षा और स्वयं के सम्मान की रक्षा का पूरा दायित्व आप पर ही है. (मेजों की थपथपाहट)..अनेक लोग आपसे यह कहेंगे, मैंने पूरे सत्र में यह सुना कि बड़ा नीरस सत्र चल रहा है. यह हमें समाज को बताना पड़ेगा कि यहां मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं. यहां जनता के काम करने के लिए आते हैं, इसलिए नीरसता का और मनोरंजन का प्रश्न नहीं है. ऐसी बातें इसलिए आती हैं कि कुछ उत्तेजित कर दिया जाय. मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस सम्मान और शालीनता से जनता की भावनाएं यहां पर आईं, इसी शीलनता और सम्मान की अपेक्षा जनता को आप सबसे है और मैं सोचता हूं कि यह परम्परा आगे भी चलेगी. किसी के समझाए हमें समझना नहीं है, स्वयं के विवेक से ही काम लेना ठीक होगा.

मैं सदन के सुचारु संचालन हेतु पुनः सभी माननीय मंत्रिगण, सभी माननीय सदस्यगण के साथ-साथ विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों का भी आभार मानता हूं. सुरक्षा स्टॉफ, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों का भी मैं आभार मानता हूं, उन्होंने सदन की कार्यवाही को जनता के बीच सही ढंग से रखा है. हम सभी पावस सत्र में पुनः सम्मिलित होंगे, मैं अपनी ओर से आप सभी को और प्रदेश वासियों को चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और चैती-चांद की शुभकामनाएं देता हूं और सबकी खुशहाली की कामना करता हूं.

संसदीय कार्य मंत्री जी बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं विधानसभाओं को यदि मिला लिया जाए तो 10 वर्षों से अधिक समय से संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो अपने आप में एक रिकार्ड है. मैं उनको इस बात की भी बधाई देता हूँ. धन्यवाद.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष, श्री सत्यप्रकाश सखवार, सदस्य एवं डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष महोदय ने भी समापन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किये.

18. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया.

19. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 2.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 1 अप्रैल, 2016